मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 224/2025

1. लीलूराम पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कुम्भाराम पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

––वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हनुमान पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 03/11/2025

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मांगीलाल सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –
चक 23 जे आर के बी के खाता सं. 76/72 के प.नं. 22/243 के मु.नं. 16 के किला नं. 16 ता 25, व प.नं. 22/244 के मु.नं. 30 किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/2/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 15 की कुल 6.325 हैक. नहरी [illegible] मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है जिसमें कि मनफूलराम का 1/5, हिस्सा [illegible] 4/5 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड में वादीगण संख्या 1 व 2 एवं [illegible] खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है। खाता में से मनफूल का 1/5 [illegible] व गीरो का 4/5 हिस्सा राजस्व दर्ज से कलमजन के आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:21:14 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 03/11/2025... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:21:14 IST
Reason: SelfAttested